छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सीमेंट उद्योग को दिये गये ऋण

1503. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 30 नवम्बर, 1995 तक स्थापित सीमेंट उद्योगों को केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं ने कितनी धनराशि ऋण के रूप में प्रदान की है;

(ख) इनमें से प्रत्येक उद्योग द्वारा, ली गई ऋण राशि में से मूल राशि एवं ब्याज की राशि सहित कितनी राशि लौटाई गई है और कितनी राशि का लौटाया जाना शेष है;

(ग) निर्धारित ऋण एवं ब्याज की राशि समय पर न लौटा पाने के लिए दोषी प्रबंधकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या प्रावधान है; और

(घ) इस संबंध में 30 नवम्बर, 1995 तक वास्तव में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने सूचित किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 30 नवम्बर, 1995 तक मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सीमेंट उत्पादक इकाईयों को 400.14 करोड़ रु० की सहायता मंजूर की है और 271.28 करोड़ रु० की सहायता संवितरित की है। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित जानकारी का प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से यह सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ख) आई०डी०बी०आई० ने सूचित किया है कि इन इकाइयों द्वारा लिए गए ऋण में से 144.01 करोड़ रु० (ब्याज सहित) की राशि की उनके द्वारा वापसी अदायगी कर दी गई है। 45.97 करोड़ रु० (मूलधन और ब्याज) की राशि बकाया है।

(ग) और (घ) आई० डी० बी० आई० ने आगे सूचित किया है कि चूक के मामले में वित्तीय संस्थाएं चूक के कारणों की समीक्षा करती है और अतिदेय राशियों की वसूली के लिए कानून के अनुरूप उचित कार्यवाही करती है। इकाइयों के रुग्ण हो जाने और रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के क्षेत्राधिकार में आने पर मामलों को औद्योगिक एवं वित्तीय-पुनर्निर्माण बोर्ड (बाईफर) को सौंप दिया जाता है। तात्कालिक मामलों में, बाईफर को सौंपे गए तीन एककों में रुग्णता के कारण बकाया राशि देय है।

New Equipment to detect cancer

1504. SHRI RAJ NATH SINGH Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new equipment has been developed recently to detect cancer disease;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of cancer patients benefited by introducing the new equipment in different hospitals in Delhi during the period of January 1996 till date; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Collaboration of Indian Airlines with private Airlines

1505. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Indian Airlines has any plan to collaborate with private airlines to fly from Hyderabad to Visakhapatnam, Hyderabad to Vijaywada and Hyderabad to Tirupati sector;

(b) if so, the details of such plans; and

(c) by when these flights will commence on above sectors in Andhra Pradesh?